रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11042023-245089
CG-DL-E-11042023-245089

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1598] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 6, 2023/चैत्र 16, 1945
No. 1598] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 6, 2023/CHAITRA 16, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023

सं. 03/2023

विषय : मांस और मांस उत्पादों के लिए हलाल प्रमाणन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना।

का.आ. 1677(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा मांस और मांस उत्पादों हेतु नीतिगत शर्तों में संशोधन करती है:

2. इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु शामिल किए गए उत्पाद निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	एचएस कोड	वस्तुएं	नीतिगत शर्त
1	0201	गोवंशीय पशुओं का मांस ताजा और प्रशीतित	1. मांस और मांस उत्पादों को ''हलाल प्रमाणित'' के रुप में निर्यात करने की अनुमति तभी दी जाएगी, जब समय–समय पर जारी किए गए/संशोधित दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रमाणन निकायों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन
2	0202	गोवंशीय पशुओं का मांस, हिमित	
3	0204	भेड़ या बकरी का मांस, ताजा, प्रशीतित या हिमित	

4	0206	गोवंशीय पशुओं, भेंड़, बकरी, के खाद्य उत्पाद ताज़ा प्रशीतित या हिमित	बोर्ड (एनएबीसीबी) द्वारा विधिवत मान्यता-प्राप्त प्रमाणन निकाय द्वारा जारी किए गए भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) के भारत अनुरुपता मूल्यांकन स्कीम (आई–सीएएस)–हलाल ''के तहत वैध प्रमाणीकरण वाली सुविधा में इन्हें उत्पादित, संसाधित और/या पैक किया गया हो। आई–सीएएस हलाल और दिशानिदशों को https://qcin.org/i-cas पर देखा जा सकता है। गैर–हलाल प्रमाणित मांस और मांस उत्पादों के निर्यात हेतु प्रक्रिया अपरिवर्तित रहेगी। 2. उन देशों को निर्यात खेप (खेपों) जहां हलाल पर विनियमन है; निर्माता/आपूर्तिकर्ता/निर्यातक को आयातक देश की आवश्यकता/विनियमों को भी पूरा करना होगा, जैसा कि लागू हो, और आयातक देश की राष्ट्रीय हलाल प्रणाली के तहत अनुमोदित हलाल प्रमाणन निकायों द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र (प्रमाणपत्रों) को धारित करना होगा। ऐसे मामले में, आई–सीएएस–हलाल के तहत हलाल प्रमाणन प्रारंभ में निर्माता/आपूर्तिकर्ता/निर्यातक की ओर से स्वैच्छिक होगा। 3. सभी मौजूदा हलाल प्रमाणन निकायों के पास आई–सीएएस हलाल हेतु एनएबीसीबी से मान्यताप्राप्त करने के लिए इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से छह माह का समय होगा। 4. एपीडा द्वारा विकसित मांस निर्यात के लिए समर्पित और एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करने के लिए सभी मौजूदा निर्यात इकाइयों, जिनमें पहले से एपीडा के सदस्य के रुप में पंजीकृत इकाइयां शामिल है के पास इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से छह माह का समय होगा। 5. तथापि निर्यात समय–समय पर डीजीएफटी द्वारा जारी/संशोधित विदेश व्यापार नीति के अधीन होगा।
5	0207	शीर्षक सं. 01.05 के कुक्कुट का मांस और खाद्य अवशेष, ताज़ा प्रशीतित या हिमित	
6	0210	मांस/खाद्य योग्य मांस के साल्टयुक्त, इन–बाइन ड्रायड/स्मोक्ड मांस/मांस अवशेष के खाद्‌य योग्य प्लोर्स और भोजन	
7	1601	मांस के सॉसेज और इसी तरह के उत्पाद, मांस के उत्पाद, इन उत्पादों के आधार पर खाद्य विनिर्मितियां	
8	1602	अन्य विनिर्मितियां या परिरक्षित किया हुआ मांस, अवशेष	

3. इस अधिसूचना का प्रभावः मांस और मांस उत्पादों के लिए हलाल प्रमाणन प्रक्रिया हेतु नीतिगत शर्तों को अधिसूचित किया गया है।

[फा. सं. 01/91/171/166/एएम21/ईसी]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 2023

No. 03/2023

Subject : Streamlining of Halal Certification Process for Meat and Meat Products.

S.O. 1677(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Central Government hereby amends the policy conditions for Meat and Meat Products:

2. Products covered for the purpose of this Notification are as under:

<table>
<tr><th>Sl. No.</th><th>HS Code</th><th>Commodity</th><th>Policy Conditions</th></tr>
<tr><td>1 .</td><td>0201</td><td>MEAT OF BOVINE ANIMALS, FRESH AND CHILLED</td><td rowspan="8">1. Meat and meat products shall be allowed to be exported as "Halal certified", only if produced, processed and/or packaged in a facility having a valid certification under the "India Conformity Assessment Scheme (i-CAS) — Halal" of the Quality Council of India (QCI), issued by a Certification Body duly accredited by the National Accreditation Board for Certification Bodies (NABCB) as per the guidelines issued/amended from time to time. i-CAS Halal and the guidelines can be accessed at https://qcin.org/i-cas The procedure for export of non-halal certified meat and meat products will remain unchanged.
2. The export consignment(s) to countries where there is a Regulation on Halal, the producer/supplier/exporter shall also meet the importing country's requirements/regulations, as applicable, and shall hold valid certificate(s) issued by Halal certification bodies approved under the national halal system of the importing country. In such cases, the Halal certification under i-CAS Halal shall be initially voluntary on the part of the producer/supplier/exporter.
3. All existing Halal Certification Bodies shall have six months' time from the date of issue of this notification to seek accreditation from NABCB for i-CAS Halal.
4. All existing Export Units, including those already registered with APEDA as members, shall have six months' time from the date of issue of this notification, for registering themselves at dedicated and integrated online portal for meat exports developed by APEDA.
5. The export will, however, be subject to the Foreign Trade Policy, as issued/amended by DGFT from time to time.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>0202</td><td>MEAT OF BOVINE ANIMALS, FROZEN</td></tr>
<tr><td>3</td><td>0204</td><td>MEAT OF SHEEP OR GOATS, FRESH, CHILLED OR FROZEN</td></tr>
<tr><td>4</td><td>0206</td><td>EDIBLE OFFAL OF BOVINE ANIMALS, SHEEP, GOAT, FRESH CHILLED OR FROZEN</td></tr>
<tr><td>5</td><td>0207</td><td>MEAT AND EDIBLE OFFAL OF THE POULTRY OF HEADING NO.01.05, FRESH CHILLED OR FROZEN</td></tr>
<tr><td>6</td><td>0210</td><td>MEAT/EDIBLE MEAT OFFAL, SALTED, IN BRINE, DRIED SMOKED; EDIBLE FLOURS ANDMEALS OF MEAT/MEAT OFFAL</td></tr>
<tr><td>7</td><td>1601</td><td>SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS OF MEAT, MEAT OFFAL, FOOD PREPARATION BASED ON THESE PRODUCTS</td></tr>
<tr><td>8</td><td>1602</td><td>OTHER PREPARED OR PRESERVED MEAT, OFFAL</td></tr>
</table>

3. **Effect of this Notification**: Policy conditions for Halal Certification Process for Meat and Meat Products is notified.

[F. No. 01/91/171/166/AM21/EC)]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade Ex-Officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.04.11 16:03:48 +05'30'